

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 234/2023 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)

वेद फिनसर्व लिमिटेड (पूर्व में वेद लीजिंग एंड फाईनेंस कंपनी लिमिटेड), "वेद हाऊस", द्वितीय तल, 1
तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री संतोष कुमार शर्मा,
पता- 2769, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर।
2. श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री पुष्पेन्द्र शर्मा,
3. श्री विकास शर्मा पुत्र श्री संतोष कुमार,
पता- 2769, खजाने वालों का रास्ता, पूर्वियों का चौक, इन्द्रा बाजार, जयपुर।
4. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सीताराम,
पता-117, राणा मोहल्ला, पंचलंगी, उदयपुरवाटी, झुन्झनु।
5. श्री अमित कौशिक पुत्र श्री बाबूलाल,
पता-डी-203, यूडीवी इको होम्स, मुहाना रोड, धौलाई, पत्रकार कॉलोनी के पास, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित-श्री अश्वनी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नं. 3 व 4, स्कीम नं. 4, मनोहरी पैलेस, सूर्य नगर, बैनाड रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 55.54 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

५००
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्राप्त बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इन्फॉर्मेशन प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी दिवतीय संस्था के सुयोग्य अधिकृत को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का बरीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी दिवतीय संस्थान ने अप्राथीगणों को 15,00,000/-रायों का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिकृति जमानत के रूप में अप्राथीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी दिवतीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दसूरी के लिए बकाया ऋण राशि 28,81,908/-रायों की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 01.08.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का दिवतीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा दिवतीय संस्था को बकाया ऋण राशि का चुकाना भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दसूरी योग्य बकाया राशि एक लाख रायों से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्राधानों के तहत दिवतीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत दिवतीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अंतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी दिवतीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति दुकान नं. 3 व 4, स्कीम नं. 4, मनीहरी पैलेस, सूर्य नगर, बैनाड रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 55.54 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी दिवतीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किठे जाने क आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीग को भेज कर लिखा जाये कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी दिवतीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर दिवतीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित कर एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाकिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रकाश राजपुरोहित
जिला नजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर